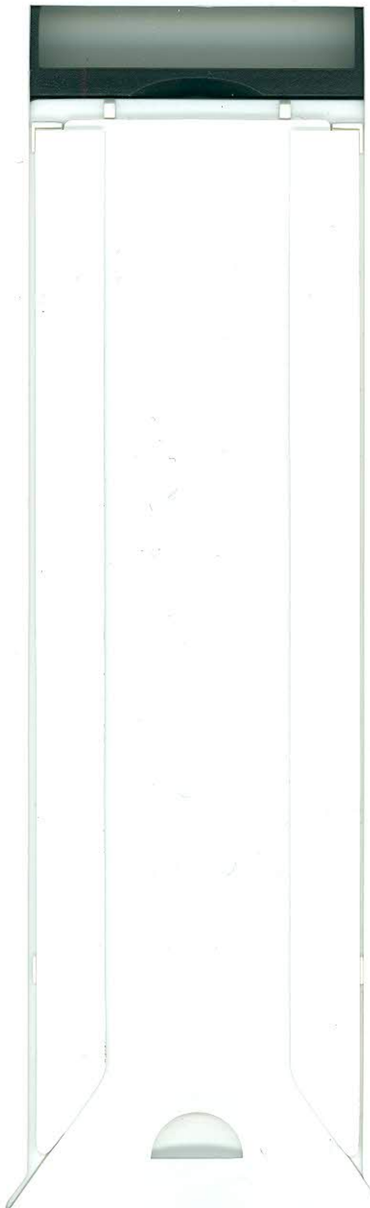

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 पौष, 1939 (श०)

संख्या- 33 राँची, गुरुवार,

18 जनवरी, 2018 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

20 सितम्बर, 2017

संख्या-एल०जी०-09/2017-117/लेज० -- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक 6 सितम्बर, 2017 को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2017

(झारखण्ड अधिनियम संख्या- 19, 2017)

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) में संशोधन हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में झारखंड के राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो -

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-**

(i) यह अधिनियम झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, **2017** कहा जा सकेगा ।

(ii) यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा ।

(iii) यह दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के प्रभाव से प्रवृत्त माना जायेगा ।

2. झारखण्ड अधिनियम 10, 2015 दिनांक 23 सितम्बर, 2015 एवं झारखण्ड अधिनियम 05, 2016 दिनांक 9 फरवरी, 2016 द्वारा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 18 के उपधारा (3) एवं उपधारा (4) मे किये गये संशोधनों को दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के प्रभाव से प्रवृत्त माना जायेगा ।

3. झारखण्ड अधिनियम 10, 2015 दिनांक 23 सितम्बर, 2015 द्वारा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) में किये गये संशोधनों तथा धारा 18 की उपधारा (8) की कंडिका (ix) तथा धारा 18 की उपधारा (10) मे किये गये संशोधन एवं धारा 18 की उपधारा (8) मे जोड़ी गई कंडिका (xviii) को दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के प्रभाव से प्रवृत्त माना जायेगा ।

4. झारखण्ड अधिनियम 05, 2016 दिनांक 9 फरवरी, 2016 द्वारा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) में किये गये संशोधनों तथा धारा 18 के उपधारा (4) की कंडिका (iii) के बाद जोड़े गये परंतुक को दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के प्रभाव से प्रवृत्त माना जायेगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवास कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

20 सितम्बर, 2017

संख्या-एल॰जी॰-09/2017-118/लेज॰ -- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 6 सितम्बर, 2017 को अनुमत झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2017 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

Jharkhand Value Added Tax (Amendment) Act, 2017

(Jharkhand Act No. 19, 2017)

An Act to amend Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act 05, 2006).

Be it enacted by Legislature of Jharkhand in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement –

   (i) This Act shall be called the Jharkhand Value Added Tax (Amendment) Act, 2017.

   (ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

   (iii) It shall be deemed to have come into force w.e.f. 23 September, 2015.

2. The amendments, as made in Jharkhand Value Added Tax Act (Jharkhand Act 05, 2006) and as amended in sub-section (3) and sub-section (4) of section 18, by Jharkhand Act 10, 2015 dated 23 September, 2015, and Jharkhand Act 05, 2016 dated 9 February, 2016, shall be deemed to effective from 23 September, 2015.

3. The amendments as made in Jharkhand Value Added Tax Act (Jharkhand Act 05, 2006) and as amended in clause (ix) of sub-section (8) of section 18, and in sub-section (10) of section 18, and insertion of clause (xviii) in sub-section (8) of section 18, by Jharkhand Act 10, 2015 dated 23 September, 2015, shall deemed to be effective from 23 September, 2015.

4. The amendments as made in Jharkhand Value Added Tax Act (Jharkhand Act 05, 2006) and a proviso as inserted in clause (iii) of sub-section (4) of section 18, by Jharkhand Act 05, 2016 dated 9 February, 2016, shall be deemed to effective from 23 September, 2015.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवास कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 33 -- 50